महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of HRD, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

पत्र सं. 27-1/2019(शै.)/मसारावेविप्र/ दिनांक 07-12-2019

अधिसूचना

विषय :- प्रतिस्थापित गुरु-शिष्य परम्परा इकाई हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

प्रतिष्ठान की पूर्व अधिसूचना क्र.-807 दिनांक 18-09-2019 के अनुसार गुजरात, उत्तराखण्ड, जम्मू, श्रीनगर, काश्मीर, केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मणिपुर एवं सिक्किम आदि तथा ऐसे राज्य जहाँ अधिक संख्या में वेद इकाई संचालित नहीं है या जिस राज्य की आबादी के अनुसार अत्यल्प वेद इकाई संचालित है उन राज्यों में वेद इकाई संचालन की स्वीकृति देना है। इस हेतु प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित अधिसूचना क्र.- 832 दिनांक 07-12-2019 अनुसार दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर, 2019 को प्रातः 10:00 बजे से सम्परीक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्रतिष्ठान नियम निर्देशानुसार वेद गुरु को प्रतिष्ठान के निर्णयानुसार किसी भी राज्य में इकाई संचालन की स्वीकृति दी जाएगी, उन्हें उसी राज्य में वेद के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना होगा। इस हेतु सम्परीक्षण में उपस्थित होने से पूर्व 10/- के स्टाम्प पर संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

संलग्न :- शपथ पत्र प्रारूप।

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपिः- प्रतिष्ठान की बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
कार्यालय आदेश मिसिल।

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 फैक्स (0734-2502253)
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

10/- के स्टाम्प पर

शपथ-पत्र

मैं ..... निवासी ..... वेद एवं शाखा ..... हेतु वेदपाठी (स्वाध्यायी) के रूप में "वैदिक सस्वर उच्चारण की मौखिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने की योजना" के अन्तर्गत महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान में दिनांक ..... को सम्परीक्षण हेतु उपस्थित हुआ हूँ।

इस योजना के अन्तर्गत वेद अध्ययन कराना केवल मानदेय पर आधारित व्यवस्था है, न कि वेतन व्यवस्था है।

मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रतिष्ठान द्वारा जिस किसी भी राज्य में इकाई संचालित करने की स्वीकृति दी जाएगी उसी राज्य में मैं अपने अधीन अध्ययनरत छात्रों को अत्यन्त सुरक्षित रखकर वेद शाखा का पूर्ण अध्ययन कराऊँगा। मेरे द्वारा किसी भी स्थान पर स्थानान्तरण या स्थान परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी। यदि स्थानान्तरण या स्थान परिवर्तन की मांग की जाती है तो मुझे गुरु-शिष्य परम्परा इकाई से हटाने का पूर्ण अधिकार प्रतिष्ठान के पास रहेगा तथा मेरी इकाई में अध्ययनरत छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें अन्यत्र निकट स्थित पाठशाला अथवा इकाई में स्थानान्तरित करने का अधिकार भी प्रतिष्ठान के पास रहेगा। मुझे इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पूर्ण पता .....

.....

मो.नं. .....